इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जनवरी 2021—पौष 22, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2021

क्र. 558-18-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ६ सन् २०२१

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२१

विषय-सूची

धाराएं:

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. २८ सन् २०१६ का अस्थाई रूप से संशोधन किया जाना.

३. धारा २ का संशोधन.

४. धारा ९क का अंत:स्थापन.

५. धारा १० का स्थापन.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ६ सन् २०२१

पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२१

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १२ जनवरी, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

पंडित एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम पंडित एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ है.

(२) यह, मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. २८ सन् २०१६ का अस्थाई रूप से संशोधन किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, पंडित एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (क्रमांक २८ सन् २०१६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ से ५ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ञ-क) ''प्रति कुलपति'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ९क में यथा विहित कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति;''.

धारा ९क का अंत-स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

प्रति कुलपति.

''९क. कुलपति किसी एक संकायाध्यक्ष को प्रति कुलपति के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा और वह कुलपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं.''.

धारा १० का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

''१०. विश्वविद्यालय के अधिकारियों में प्रति कुलपति, संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक और ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए.''.

भोपाल :

तारीख : ७ जनवरी, सन् २०२१

आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल,

मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2021

क्रमांक 558-18-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 6 of 2021

PANDIT S. N. SHUKLA UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. **Short title and commencement.**

2. **Madhya Pradesh Act No. 28 of 2016 to be temporarily amended.**

3. **Amendment of section 2.**

4. **Insertion of section 9A.**

5. **Substitution of section 10.**

MADHYA PRADESH ORDINANCE

NO. 6 OF 2021

PANDIT S. N. SHUKLA UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th January, 2021.]

Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India.

AN ORDINANCE FURTHER TO AMEND PANDIT S. N. SHUKLA UNIVERSITY ACT, 2016.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called Pandit S. N. Shukla University (Amendment) Ordinance, 2021.

2. It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Madhya Pradesh Act No. 28 of 2016 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, Pandit S. N. Shulka University Act, 2016 (No. 28 of 2016) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in section 3 to 5.

Amendment of section 2.

3. In section 2 of the principal Act, after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:—

"(j-a) Pro-Vice-Chancellor" means Pro-Vice-Chancellor of the University nominated by the Vice-Chancellor as prescribed in section 9A of the Act;".

Insertion of section 9A.

4. After section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Pro-Vice-Chancellor.

"9A. The Vice-chancellor may nominate one of the Deans as Pro-Vice-Chancellor and who shall hold office during the pleasure of the Vice-Chancellor and shall perform such function as my be assigned to him by the Vice-Chancellor.".

Substitution of section 10.

5. For section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Officers of the University.

"10. The officers of the University shall include Pro-Vice-Chancellor, Dean of Faculties, Dean Students Welfare Registrar, Finance Comptroller and such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.".

Bhopal :

Dated the 7th January, 2021.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.